पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/धारा–57 अनुभाग/वा0कर/2012–13/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून:[illegible]जुलाई, 2012

प्रार्थना पत्र सं0 – 321/12.04.2012

सर्वश्री मिडास सैफ्टी प्रा0 लि0,
सी–16 व 17, नैनीताल रोड,
आवास विकास, रूद्रपुर,
जिला–ऊधमसिंह नगर, (उत्तराखण्ड़)

उपस्थिति– श्री हरदेव सिंह पुत्र स्व0 श्री तीरथराम R/o जसपुर, अधिकृत प्रतिनिधि फर्म,
निर्णय का दिनांक– 20 जुलाई, 2012,

<u>उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।</u>

1. सर्वश्री मिडास सैफ्टी प्रा0 लि0, सी–16 व 17, नैनीताल रोड, आवा विकास, रूद्रपुर,जिला–ऊधमसिंह नगर, जिनका टिन (पंजीयन नं0)–05010986730 है, द्वा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना प देते हुए, यह तथ्य रखा गया है कि उनकी फर्म द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं क खरीद–बिक्री का व्यवसाय किया जाता है–

1. Machine Knitte Cotton Hand Gloves
2. Machine Knitte Cotton Hand Gloves With Coating
3. Machine Knitte Nylon Shell Hand Gloves
4. Machine Knitte Terry Hand Gloves
5. Machine Knitte Nylon Shell Hand Gloves With Coating
6. Machine Knitte Cotton Shell Hand Gloves With dotted
7. Machine Knitte Nylon Shell Dotted Hand Gloves
8. Examination (Surgical) Hand Gloves
9. Rubber Hand Gloves
10. Nitrile Hand Gloves
11. Neopren Hand Gloves
12. PVC Hand Gloves
13. Leather Hand Gloves
14. Non Woven Mask
15. Ear Plug
16. Safety Goggles
17. Safety Shoes
18. Safety Helmet
19. Fire Blanket
20. Cotton Boiler Suit
21. Cotton Fabric Apron
22. Kevlar Hand Gloves
23. Surgical items

आ.पा. (प्रभा) / खातापाल
आवश्यक कार्यवाही करें

डिप्टी कमि.(क.नि.)–6

24.Baffaint Cap non Woven
25.Aluminium Cap Frame

उपरोक्त के सन्दर्भ मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त वस्तुओं की बिक्री किये जाने पर लगने वाले वैट को लेकर भ्रम बना हुआ है। हमारे द्वारा जिन वस्तुओं पर 13.5 प्रतिशत वैट लगाया जा रहा है, उन वस्तुओं पर बाजार में 4.5 प्रतिशत की दर से वैट लगया जा रहा है। जिससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। अन्त में व्यापारी द्वारा अनुरोध किया गया है कि " **अतिशीघ्र उपरोक्त लिखित वस्तुओं पर लगने वाले वैट की दर की सूचना देने का कष्ट करें, ताकि हम हमेशा की भांति उचित कर समय पर जमा कर सके और हमारा व्यापार भी प्रभावित न हो।"**

उपरोक्तानुसार अनुरोध कर्ता द्वारा धारा–57 के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत इण्डस्ट्रीयल सैफ्टी प्रोड्क्टस से सम्बन्धित विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर वैट की दर के सन्दर्भ में जानकारी चाही गयी है।

2. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–603/ज्वा0कमि0(का0),वा0क0का0/2012–13/दिनांक 23. 06.2012 द्वारा अपना मत प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि– व्यापारी द्वारा इण्डस्ट्रीयल सैफ्टी प्रोड्क्टस की खरीद–बिक्री का कार्य किया जाता है। व्यापारी द्वारा हैण्ड ग्लब्ज पर 4.5 प्रतिशत की दर से कर जमा किया जा रहा है तथा अन्य वस्तुओं पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए कर जमा किया जा रहा है। जिन वस्तुओं पर व्यापारी द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में करदेयता पूछी गयी है, में से कोई भी वस्तु शेड्यूल–II(बी) अथवा किसी अन्य शेड्यूल के अन्तर्गत विज्ञापित नहीं है। अतः उक्त समस्त वस्तुओं पर RNR अर्थात 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी।

3. धारा–57 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि श्री हरदेव सिंह, पुत्र स्व0 श्री तीरथराम, ग्रा0 अहमद नगर, पो0 जसपुर, जिला ऊधमसिंह नगर उपस्थित हुए, धारा–57 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित वस्तुओं की बिक्री पर कर (वैट) की दर के सन्दर्भ में उत्तर देने हेतु प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

4 मेरे द्वारा दोनों पक्षों का अवलोकन किया गया, आवेदनकर्ता व्यापारी द्वारा अपने मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत प्रेषित प्रार्थना पत्र में इण्डस्ट्रीयल सैफ्टी प्रोड्क्टस से सम्बन्धित उल्लिखित 25 वस्तुओं की बिक्री पर करदेयता के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है। उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–(2) के क्लॉज–(ख)(i)(ई) के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार " **किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में " 12.5 प्रतिशत (वर्तमान में 13.5 प्रतिशत) की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।**

उपरोक्तानुसार कर की दरों के सम्बन्ध में दी गयी किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री किये जाने पर नियमानुसार 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। व्यापारी द्वारा प्रेषित धारा–57 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित सभी 25 प्रकार की वस्तुऐं किसी भी अनुसूची के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र में उल्लिखित समस्त वस्तुओं की बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता (वैट) होगी।

उपरोक्तानुसार मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत प्रेषित प्रार्थना का निस्तारण/विनिश्चिय किया जाता है। आदेश की एक प्रति आवेदक व्यापारी एवं एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी को भेजी जाये।

(सौजन्या)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 1825 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष /सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
8. असि0 कमि0 वाणिज्य कर खण्ड–1 रूद्रपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
10. श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)–06, वाणिज्य कर, देहरादून (लैब इन्फारमेशन आफिसर) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रसारित करना सुनिश्चित करें।
11. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
12. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
13. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
14. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
15. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
16. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।